

अध्याय-6

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) ख में उपबन्धित प्रावधान्तगत बिन्दु संख्या 6 (द्वितीय) अभिलेखों के प्रवर्गों का विवरण जो उसके द्वारा या उसके नियन्त्रण के अधीन रखे जाते हैं।

अभिलेखों के प्रवर्गों का विवरण जो वित्त प्रकोष्ठ के अधीन रखे जाते हैं:-

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का स्वरूप	सम्पर्क अधिकारी
1.	बजत प्रस्ताव	बुकलेट	उप निदेशक (व्यय एवं बजट)
2.	सामान्य भविष्य निधि अभिलेख	कम्प्यूटर में संधारित	लेखाधिकारी (भुगतान)
3.	वेतन बिल	कम्प्यूटर में संधारित	लेखाधिकारी (भुगतान)
4.	(क) रोकड़ बही (सिविल)	रोकड़ बही	लेखाधिकारी (भुगतान)
5.	(ख) रोकड़ बही (निर्माण)	रोकड़ बही	उप निदेशक (व्यय एवं बजट)
6.	अग्रिम लेखा	रजिस्टर/कम्प्यूटर में संधारित	उप निदेशक (व्यय एवं बजट)/ लेखाधिकारी (भुगतान)
7.	प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण	कम्प्यूटर में संधारित	उप निदेशक (व्यय एवं बजट)/ लेखाधिकारी (भुगतान)/वरि. लेखाधिकारी (आर.सी.आर.)
8.	(ए) चैक रजिस्टर सिविल (बी) चैक रजिस्टर निर्माण	रजिस्टर रजिस्टर	(ए) लेखाधिकारी (भुगतान) (बा) उप निदेशक (व्यय एवं बजट)
9.	लेखा परीक्षण रिपोर्ट	पंजिका	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)
10.	चालान, विविध बिल व रसीद बुके व लेखा विभाग के अन्य प्रकरण	फार्म, चालान एवं वाऊचर्स	उप निदेशक (व्यय एवं बजट)/वरिष्ठ लेखाधिकारी (आर.सी.आर.)) / लेखाधिकारी (भुगतान)
11.	भुगतान बिल	वाऊचर्स	उप निदेशक (व्यय एवं बजट)/ लेखाधिकारी (भुगतान)
12.	यात्रा भत्ता बिल/चिकित्सा भत्ता, मनोरंजन भत्ता, टेलीफोन बिल आदि	रजिस्टर/कम्प्यूटर में संधारित	लेखाधिकारी (भुगतान)
13.	आर.सी.आर.	कम्प्यूटर एवं रजिस्टर	वरिष्ठ लेखाधिकारी (आर.सी.आर.)
14.	भुगतान से अन्य राजकीय विभागों की निर्धारित कटौतियाँ	कम्प्यूटर एवं पत्रावली	उप निदेशक (व्यय एवं बजट)/ लेखाधिकारी (भुगतान)